भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 695

गुरुवार, 28 अप्रैल, 2016/ 08 वैशाख, 1938 (शक)

तकनीकी परामर्शदाता

695. डॉ सुभाष रामराव भामरे:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजना के कार्यान्वयन के स्टैन्डर्ड तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकी परामर्शदाताओं (परिवहन विशेषज्ञों) की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परामर्शदाताओं की अर्हता संबंधी मानदंड, पारिश्रमिक, कार्यकाल आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1,00,000/- रू. राशि प्रतिमाह के पारिश्रमिक+5,000/- रू. प्रतिमाह के स्थानीय वाहन सुविधा पर 4 तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त करना चाहता है । पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**परामर्श क्षेत्र**	**शैक्षिण और पात्रता मानदंड**
1	सड़क सुरक्षा/प्रवर्तन	परिवहन/आटोमोबाइल/मेकैनिकल/सिविल/विधि इत्यादि में स्नातक
2	उत्सर्जन	आटोमोबाइल/मेकैनिकल/विधि इत्यादि में स्नातक
3	भारी मोटर वाहन (3.5 टन से अधिक)	बी. टेक/बीई-आटोमोबइल, मेकैनिकल, उत्पादन/औद्योगिक
4	हल्के मोटर वाहन (3.5 टन से कम)	

इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है । केंद्रीय मोटरयान नियमावली (सीएमवीआर) मोटरयान अधिनियम, सड़क सुरक्षा और अनुसमर्थन के कार्यान्वयन में अनुभव प्राप्त केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा आटोमोबाइल परीक्षण एजेंसियों अथवा शैक्षणिक संस्थानों के सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष की होगी और तदनन्तर विस्तार, यदि कोई हो, के संबंध में निर्णय विशिष्ट कार्य और इसके पूरा होने के समय पर निर्भर करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा ।

*****